रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122022-240852
CG-DL-E-07122022-240852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2022/अग्रहायण 15, 1944
No. 629] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2022/AGRAHAYANA 15, 1944

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 5 दिसंबर, 2022

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय की अस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) (संशोधन) विनियम, 2022

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनि./7/186/2022—*बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओँ 64वी और 64वीए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (वाई), (जेड), (जेडए) और (जेडएबी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-*

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

   क. ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) (संशोधन) विनियम, 2022 कहलाएँगे।

   ख. ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगाः

   क. अनुसूची I में, पैरा 1(1)(ख) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"राज्य/केन्द्र सरकार प्रायोजित योजनाओं से संबंधित प्रीमियमों की प्राप्य राशियाँ, उस सीमा तक जहाँ तक वे 365 दिन की अवधि के अंदर वसूल नहीं की जाती हैं"

ख. अनुसूची III के अंतर्गत फार्म आईआरडीएआई-जीआई-एसएम के `सारणी 1कः निवल प्रीमियम और निवल उपगत दावों के आधार पर अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन' में `मद सं. 09- विविध' पंक्ति और `कुल' पंक्ति के बीच में निम्नलिखित नई पंक्ति निविष्ट की जाएगीः

मद सं.	व्यवसाय की व्यवस्था	सकल प्रीमियम	निवल प्रीमियम	सकल उपगत दावे	निवल उपगत दावे	आरएसएम 1	आरएसएम 2	आरएस एम	कारक क	कारक ख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	फ़सल								0.5	0.5

देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./448/2022-23]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 5th December, 2022

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2022.

F No. IRDAI/Reg/7/186/2022.— *In exercise of the powers conferred by clauses (y), (z), (za) and (zab) of subsection (2) of Section 114A read with sections 64V and 64VA of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016, namely: -*

1. Short title and commencement

a. These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2022.

b. These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016 shall be amended as follows:

a. In Schedule I, para 1(1)(b) shall be substituted by the following:

"Premiums receivables relating to State/Central Government sponsored schemes, to the extent they are not realized within a period of 365 days"

b. In 'Table IA: Required Solvency Margin based on Net Premium and Net Incurred Claims' of Form IRDAI-GI-SM under Schedule III, the following new row shall be inserted between 'Item No. 09- Miscellaneous' row and the 'Total' row:

Item No	Line of business	Gross premium	Net premium	Gross Incurred claims	Net Incurred claims	RSM1	RSM2	RSM	Factor A	Factor B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Crop								0.5	0.5

DEBASISH PANDA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./448/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA